[Court fee stamps: कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES]

अ/निगरानी/टीकमगढ़/भू-रा/2017/1853

न्यायालय श्रीमान राजस्वमण्डल म०प्र० ग्वालियर मध्य प्रदेश

पुनरीक्षण प्र०क्र०/

कन्नू तनय नन्ने यादव निवासी बैकुण्ठी के पास टीकमगढ़ तह•वजिला टीकमगढ़ म•प्र•

••पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1•भुन्नी तनय नन्ने यादव

2•लक्ष्मन तनय नन्ने यादव

3•मकुन्दी तनय नन्ने यादव

4•रामचरन तनय नन्ने यादव समस्त निवासी बैकुण्ठी के पास टीकमगढ़ तह•वजिला टीकमगढ़ म•प्र•

5•म०प्र० शासन द्वारा कलेक्टर टीकमगढ़ म•प्र•

••प्रतिपुनरीक्षणकर्ता

पुनरीक्षण प्रस्तुत न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ म०प्र० के प्र०क्र०127/अपील/2016-17 मे पारित आदेश दिनांक 14/6/2017 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भू० रा०सं०1959

श्री एम० पी० भटनागर, अभि० द्वारा आज दि० 21-6-17 को प्रस्तुत

21-6-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

Filed by
21-6-17
M P Bhatnagar Adv

महोदय,

पुनरीक्षणकर्ता की विनयसादर प्रस्तुत है:

1• यह कि पुनरीक्षणकर्ता / अपीलार्थी एवं प्रतिपुनरीक्षणकर्ता क्र•1 / उत्तरवादी क्र•1 भुन्नी के सहखाते मे भूमि के सह क्रय करने से मौजा टीकमगढ़ किला की भूमि ख•न•1494 रकवा 0.595हे० भूमि दिनांक 24/1/87 को क्रय की थी एवं ख•न•1479रकवा 0.482हे० तथा ख•न•1481/2 रकवा 0•211हे० एवं ख•न•1479/2761रकवा 0•294हे० की भूमि दिनांक 5/5/87 को क्रय की थी जिसका विधिवत परिवर्तन होनेके पश्चात खसरा पंचशाला मे अमल होगया था उक्त दस्तावेज प्रथम अपीलीय न्यायालय अनुविभागीयअधिकारी टीकमगढ़ के यहां आदेश 41 नियम 27के साथ संलग्न की गई थी ।

2• यह कि ख•न•1460रकवा 5•342हे० भूमि पुनरीक्षणकर्ता एवं प्रति

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक एक/निगरानी/टीकमगढ/भू.रा./2017/1853

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-7-17	आवेदक के अधिवक्ता श्री एम0 पी0 भटनागर उपस्थित होकर अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ का प्रकरण कमांक 127/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 14.6.17 के विरूद्व यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि आवेदक कन्नू तनय नन्ने यादव निवासी बैकुण्ठी के पास टीकमगढ़ तहसीलदार टीकमगढ के नामांतरण पंजी कमांक 50 में आदेश दिनांक 17.2.94 के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, अपील के साथ धारा–5 का आवेदन मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा ग्राह्यता पर प्रकरण न सुनते हुये धारा–5 का आवेदन अमान्य करते हुये अपील में आदेश दिनांक 14.6.17 पारित करते हुये अपील अमान्य की गयी है इसी से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत कीगई है। 3–आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि आवेदक एवं अनावेदक कमांक–1 मुन्नी के सहखाते में भूमि के सह कय करने से मौजा टीकमगढ़ किला की भूमि खसरा न0 1494 रकवा 0.595 है0 भूमि दिनांक 24.1.87 को कय की थी एवं खसरा न0 1479 रकवा 0.482 है0 एवं खसरा न0 1481/2 रकवा 0.211 है0 एवं खसरा न0 1479/2761 रकवा 0.294 है0 की भूमि दिनांक 5.5.87 को कय की थी जिसका	

विधिवत परिवर्तन होने के पश्चात खसरा पंचशाला में अमल हो गया था उक्त दस्तावेज प्रथम अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ के यहां आदेश 41 नियम 27 के साथ संलग्न की गई थी। उनके द्वारा अपने तर्क में यह भी बताया गया है कि खसरा न0 1460 रकवा 5.342 है0 भूमि पुनरीक्षकर्ता एवं अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 के बड़े भाई बारेलाल तनय नन्ने यादव के नाम पैत्रिक संयुक्त परिवार की अविभाजित भूमि थी जो उन्होंने सहहर्ष सभी पांचो भाईयों में पैत्रिक बटवारा को पटवारी हल्का टीकमगढ किला से नामांतरण पंजी कमांक 50 पर दर्ज कराई थी परंतु तत्समय पटवारी एवं अनावेदक क–1 लगायत 3 के मध्य दुरभिसंधि उत्पन्न हुई और उन्होंने पुनरीक्षणकर्ता की भूमि को भी प्रश्नाधीन पंजी कमांक–50 पर अंकित कराते हुये अनावेदकगण कमांक 1 लगायत 3 ने अपने नाम करा ली इस संबंध में. आवेदक को ततसमय ना तो जानकारी दीगई ना ही उसे सूचित किया गया और न ही आवेकदक की सहमति नहीं थी बालाबाला तरीके से यह कार्यवाही कर ली गई चूंकि आवेदक अनपढ़ है और वह राजस्वरिकार्ड में जानकारी नहीं रखता इस संबंध में अनावेदकगण कमांक 4 ने प्रथक से आवेदन अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ को दिनांक 13.6.17 को लिख कर दिया था जिसकी स्वयं अनुविभागीय अधिकारी महोदय ने पावती के हस्ताक्षर दिये थे तत्पश्चात भी अनुविभागीय अधिकारी ने उन तथ्यों पर कोई गौर नहीं किया इस कारण उक्त दस्तावेज को प्रथक से आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. के साथ संलग्न किया जा रहा है जो विचारणीय योग्य है। अपने तर्क में यह भी कहा गया है कि आवेदक को इस त्रुटि का जब ज्ञान हुआ तो उसने तहसीलदार टीकमगढ़ के यहां रिंकाड्ड दुरूस्ती का आवेदन लगाया जिसका प्रकरण कमांक 72/अ–6अ/2016–17 अंकित

है, उक्त आवेदन पर तहसीलदार टीकमगढ ने पटवारी प्रतिवेदन बुलाया था पटवारी द्वारा दिनांक 2.2.17 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के खसरा नंबरो को पंजी कमांक 50 पर भर कर बंटवारा कर दिया गया है तब नामांतरण पंजी कमांक 50 दिनांक 17.2.94 की थी और जानकारी आवेदक को पटवारी के प्रतिवेदन से दिनांक 2.2.17 को हुई थी इस कारण आवेदक के द्वारा धारा–5 म्याद अधिनियम 1963 का आवेदन विलंब क्षमा होते प्रथक से संलग्न किया गया था तथा इस संबंध में शपथपत्र भी दिया गया था अनुविभागीय अधिकारी महोदय टीकमगढ ने धारा–5 पर तर्क हेतु निर्धारित कर दिया तत पश्चात अनावेदक कमांक–1 लगायत 3 के अधिवक्ता ने प्रकरण में ग्राह्यता पर आपत्ति की इस संबंध में विद्वान अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण को धारा'5 म्याद अधिनियम को सुनने के स्थान पर ग्राह्यता पर प्रकरण को लगा लिया जिसमें आवेदक ने आवेदन दिनांक 13. 6.17 को लिखित रूप से प्रस्तुत किया था कि ग्राह्यता को सर्वप्रथम श्रवण करना चाहिये क्यो कि इसकी स्टेज निकल चुकी है। प्रकरण धारा–5 पर निर्धारित है। अनुविभागीय अधिकारी महोदय द्वारा धारा–5 के आवेदन को अनसुना करते हुये ग्राह्यता पर आदेश पारित करते हुये अपील अमान्य की गई है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ का आदेश दिनांक 14.6.17 निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4– आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया तथा प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी

मेमों में उल्लेख किया गया है। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा धारा–5 का आवेदन अमान्य किया है और अवधि वाह्य मानते हुये अपील खारिज करने में त्रुटि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की गई है। **परिसीमा अधिनियम 1963 धारा–5 विलंब माफ करने में उदार रूख अपनाया जाना चाहिये समान्यतः विलंब मांफ किया जाना चाहिये तथा मामला सुन कर गुणागुण पर विनिश्चत किया जाना चाहिये ए0 आई0 आर0 1987 एस0 सी0 1353 से अनुसरित।**

आर0एन0 1987 पृष्ठ 125 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 44–अपील न्यायालय का कर्तव्य समय वर्जित अपील आक्षेपति आदेश जालसाजी के आधार पर पारित आदेश संसूचित नहीं किया गया–अपील परिसीमा से वर्जित होने के आधार पर खारिज नहीं की जा सकती ऐसे आदेश स्थिर नहीं रखे जाना चाहिये।

5– मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया व आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने। आवेदक अधिवक्ता का तर्क मानने योग्य है कि प्रकरण का निराकरण समयावधि पर न करते हुये गुण दोषों परकरना चाहिये. केवल अवधि वाह्य के आधार पर अपील खारिज करना अनुचित है। इस संबंध में मेरा ध्यान माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत ए0 आई0 आर0 1987 पेज 1353 (कलेक्टर लेंडएक्यूजीशन अनंतनाग एंड एनादर विरूद्व मुस0 कातीजी एवं आदर्स) की ओर आकर्षित किया जिसमें निम्नानुसार व्यवस्थ की गई है:–

Ordinarily a litigant does not stand to benefits by lodging an appeal late.

2. Refusing to condone delay can result in a

meritorious matter being thrown out at the very threshold and cause of justice being defeated. As against this when delay is condoned the highest that can happen is that a cause would be decided on merits after hearing the parties.

उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के प्रकरण कमांक 127 / अपील / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 14.6.17 आलोच्य आदेश निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि इस प्रकरण का निराकरण गुणदोष के आधार पर करके उचित आदेश पारित करें।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य